GSTIN : 09AAACU8823E1Z9

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सैल) Corporate Tax (GST CELL)

CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, रैक्स– 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 03/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक: 10.08.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0एण्डपी0)/765के0वी0/
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0टी0/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

विषयः– पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों ज़िसमें 01.07.2017 से पूर्व में लागू ईडी/सेल्स टैक्स/वैट तथा कन्सेशनल फार्म–सी दिये जाने का प्रावधान था, उन पर जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है :–

1. **Orders where price quoted are exclusive of taxes-**
ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु एक्सवर्क्स दरें पैकिंग एवं फारवर्डिंग भाड़ा एवं बीमा आदि की दरें अनुबन्धों/क्रयादेशों में अंकित की गयी थी एवं यह प्रावधान था कि इनपर (एक्सवर्क्स दरों + पैकिंग एवं फारवर्डिंग को जोड़कर) लागू ई0डी0 एवं सेल्सटैक्स अलग से वास्तविक दरों पर देय होता था। वर्तमान में जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् इस प्रकार के अनुबन्धों में एक्सवर्क्स दरें + पैकिंग फारवर्डिंग + भाड़ा एवं बीमा को जोड़कर उस पर जी0एस0टी0 की देयता होगी।

ज्ञात हो कि वर्तमान व्यवस्था में समग्र आपूर्ति (Composite Supply) की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत पैकिंग, फारवर्डिंग, भाड़ा एवं बीमा इत्यादि पर भी जी0एस0टी0 लागू होगा।

2. **Orders where price quoted are inclusive of taxes-**
ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें सभी टैक्स व दरों को सम्मिलित कर प्राप्त की गयी थी, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता से टैक्स व दरों का ब्रेकअप ले लिया जाए एवं पुराने टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 लगा कर दरें परिवर्तित कर ली जायें।

ऐसे अनुबन्ध जहां टैक्स व दरों का ब्रेकअप लिया जाना सम्भव नहीं है, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता को Counter offer दिया जाना उचित होगा जिसमें पुराने अनुबन्धों के अनुसार FOR destination price को Freeze करते हुए उस पर जी0एस0टी0 के भाग को लागू दरों पर गणना कर unload कर दिया जाए। इस प्रकार निगम पर कोई अतिरिक्त देय नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर –

जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व		
– **आपूर्ति राशि (सभी करों सहित)**		**₹ 100.00**
जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात्		
– जी0एस0टी0 की दर	18 %	
– आपूर्ति राशि (Excluding GST)	$\frac{100}{118\%}$	₹ 84.75
– Add: जी0एस0टी0 @18%		₹ 15.25
– **कुल आपूर्ति राशि (जी0एस0टी0 सहित)**		**₹ 100.00**

आपूर्तिकर्ता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार न करने की स्थिति में उनके साथ किये गये अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना एवं उनको क्रयादेशित अवशेष मात्रा को न्यूनतम दर में देने वाले अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों से क्रय करना उचित होगा।

3. ऐसे अनुबन्ध जहां में केन्द्रीय सेल्सटैक्स के नियमों के अनुसार फार्म–सी देने का प्रावधान था, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् फार्म–सी की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः तद्नुसार अनुबन्धों में संशोधन आवश्यक होगा।
4. Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

   "As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPPCL/UPPTCL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section."

5. **खण्ड/इकाईयां सुनिश्चित करेंगी कि जी0एस0टी0 लागू होने के कारण फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकरण के उपरान्त जी0एस0टी0 प्रावधानों के अनुसार जो बीजक प्राप्त हो उन्हें पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों एवं उपरोक्तानुसार पारित किये जाये।**

1/8/2017

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 03/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

2- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

3- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

4- अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

10/8/2017

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)